पत्र सं0– म० / बजट–04 / 2025.......81......... /

मत्स्य निदेशालय

नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, बिहार, पटना

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, (सभी)।

मत्स्य / पटना, दिनांक 09.02.2026

विषय : **वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹91.14 लाख (इक्यानवे लाख चौदह हजार रु०) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर मत्स्य प्रसार राज्य स्कीम अन्तर्गत मत्स्य कृषकों हेतु भ्रमण–दर्शन कार्यक्रम योजना के हेतु तृतीय चरण में कुल राशि ₹31.899 लाख (इकतीस लाख नवासी हजार नौ सौ रु०) मात्र आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न विवरणी–I के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 6एस0एस0(6) 34 / 2019–2051 दिनांक–08.05.2025 के आलोक में कुल स्वीकृत राशि **₹91.14 लाख (इक्यानवे लाख चौदह हजार रु०)** मात्र के विरूद्ध तृतीय चरण में कुल राशि ₹31.899 लाख (इकतीस लाख नवासी हजार नौ सौ रु०) मात्र का आवंटन, व्यय का वहन करने हेतु आवंटित किया जाता है।

2. इस आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में माँग सं0–02 के अधीन आय–व्यय मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–109– विस्तार तथा प्रशिक्षण –उपशीर्ष–0102–मत्स्य प्रसार, विपत्र कोड–**02.2405001090102,** इकाई–0102.20.03 प्रशिक्षण व्यय मद के अंतर्गत विकलित किया जाएगा।

3. यह आवंटन मत्स्य प्रसार योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए विषय शीर्ष–0102.20.03 प्रशिक्षण व्यय हेतु दिया जा रहा है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0(2) दिनांक 17.04.1998, वित्त विभाग का पत्रांक 345 दि0 25.03.2021 ***(जिसके तहत योजनान्तर्गत उपबंधित राशि से अधिक व्यय निषेध होगा)*** एवं वित्त विभाग के पत्रांक 2193 दिनांक–31.03.2020 ***(जिसके तहत आवंटित राशि को बैंक खातों में न रखकर सी0एफ0एम0एस0 प्रणाली द्वारा भुगतान किया जाना है)*** के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा :–

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग–1 के नियम–475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें, ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।

6. आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी0भी0 नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें अन्यथा इसकी सारी जबावदेही आपकी होगी।

7. वित्तीय वर्ष 2025–26 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25.03.2026 तक अवश्य भेज दें।

8. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाएगा।

9. निकासी की गई राशि का विस्तृत विपत्र निर्धारित अवधि में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को विधिवत समर्पित किया जाएगा।

अनुलग्नक :– विवरणी–I (एक प्रति)

विश्वासभाजन

9/2/26

ज्ञापांक : म० / बजट–04 / 2025 ......81....... / मत्स्य / पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : विवरणी–I की प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म० / बजट–04 / 2025 ......81....... / मत्स्य / पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : विवरणी–I की प्रति के साथ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म० / बजट–04 / 2025 ......81....... / मत्स्य / पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : विवरणी–I की प्रति के साथ जिला पदाधिकारी, (सभी) / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म० / बजट–04 / 2025 ......81....... / मत्स्य / पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : विवरणी–I की प्रति के साथ विभागीय योजना एवं बजट शाखा, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग / उप मत्स्य निदेशक, (सभी परिक्षेत्र) / मत्स्य निदेशालय के बजट एवं लेखा शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म० / बजट–04 / 2025 ......81....... / मत्स्य / पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : विवरणी–I की प्रति के साथ सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य

ज्ञापांक : म० / बजट–04 / 2025 ......81....... / मत्स्य / पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाए।

निदेशक मत्स्य

<u>विवरणी –I</u>

चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में माँग संख्या–02, बजट शीर्ष 2405– मछली पालन उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–109– विस्तार तथा प्रशिक्षण, उप शीर्ष–0102–मत्स्य प्रसार योजना, विपत्र कोड–02–2405001090102, इकाई 0102.20.03 प्रशिक्षण व्यय के अंतर्गत भ्रमण दर्शन कार्यक्रम योजना हेतु राशि का आवंटन।

(राशि लाख में)

क्र0	स्थापना का नाम	(राज्य के अंदर)	विषयशीर्ष–0102.20.03–प्रशिक्षण व्यय		
		भैतिक संख्या (प्रति बैच 20 मत्स्य कृषक)	वित्तीय लक्ष्य	पूर्व में आवंटित राशि (65 प्रतिशत)	वर्तमान आवंटित राशि (35 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
1	पटना	180	2.79000	1.81350	0.976500
2	भोजपुर	120	1.86000	1.20900	0.651000
3	बक्सर	120	1.86000	1.20900	0.651000
4	रोहतास	180	2.79000	1.81350	0.976500
5	कैमूर	160	2.48000	1.61200	0.868000
6	नालंदा	160	2.48000	1.61200	0.868000
7	गया	120	1.86000	1.20900	0.651000
8	जहानाबाद	120	1.86000	1.20900	0.651000
9	अरवल	120	1.86000	1.20900	0.651000
10	औरंगाबाद	160	2.48000	1.61200	0.868000
11	नवादा	120	1.86000	1.20900	0.651000
12	मुजफ्फरपुर	180	2.79000	1.81350	0.976500
13	वैशाली	180	2.79000	1.81350	0.976500
14	सीतामढ़ी	180	2.79000	1.81350	0.976500
15	शिवहर	120	1.86000	1.20900	0.651000
16	पूर्वी चम्पारण	180	2.79000	1.81350	0.976500
17	प0 चम्पारण	180	2.79000	1.81350	0.976500
18	सारण	140	2.17000	1.41050	0.759500
19	सीवान	160	2.48000	1.61200	0.868000
20	गोपालगंज	160	2.48000	1.61200	0.868000
21	सहरसा	140	2.17000	1.41050	0.759500
22	सुपौल	140	2.17000	1.41050	0.759500
23	मधेपुरा	120	1.86000	1.20900	0.651000
24	पूर्णियाँ	180	2.79000	1.81350	0.976500
25	अररिया	140	2.17000	1.41050	0.759500
26	किशनगंज	140	2.17000	1.41050	0.759500
27	कटिहार	180	2.79000	1.81350	0.976500
28	भागलपुर	160	2.48000	1.61200	0.868000
29	बाँका	160	2.48000	1.61200	0.868000
30	मुंगेर	140	2.17000	1.41050	0.759500
31	लखीसराय	120	1.86000	1.20900	0.651000
32	शेखपुरा	180	2.79000	1.81350	0.976500
33	जमुई	160	2.48000	1.61200	0.868000
34	खगड़िया	160	2.48000	1.61200	0.868000
35	बेगुसराय	180	2.79000	1.81350	0.976500
36	दरभंगा	180	2.79000	1.81350	0.976500
37	मधुबनी	180	2.79000	1.81350	0.976500
38	समस्तीपुर	180	2.79000	1.81350	0.976500
	कुल	**5880**	**91.14000**	**59.24100**	**31.89900**

वर्तमान में कुल राशि 31.89900 लाख (इकतीस लाख नवासी हजार नौ सौ रुपये) मात्र को आवंटित किया जाता है।

9/2/26
निदेशक मत्स्य